



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

!! आदेश !!

क्रमांक 693

दिनांक 20/11/15

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, के समस्त विद्युत कार्यों के सुचारु रूप से संपादन/संचालन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल विनियम 1998 के परिशिष्ट एक की धारा-5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र. 80 दिनांक 20.02.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार विद्युत संभागीय कार्यालय का पुर्नगठन किया जाता है :-

क्र०	विद्युत संभाग का नाम	कार्यक्षेत्र	उपायुक्त जिनके अधीन प्रशासनिक नियंत्रण का संभाग रहेगा
1	2	3	4
1.	कार्यपालन अभियंता, (विद्युत) विद्युत संभाग-1	संभाग-3, राज.परियोजना संभाग-1, 2 तथा रायपुर, संभाग-दुर्ग, परियोजना संभाग-दुर्ग एवं राजनांदगांव	उपायुक्त, मुख्यालय रायपुर
2.	कार्यपालन अभियंता, (विद्युत) विद्युत संभाग-2	संभाग क्र.1, 2 एवं 4 रायपुर, जगदलपुर एवं कोण्डागांव	उपायुक्त, रायपुर
3.	कार्यपालन अभियंता, (विद्युत) विद्युत संभाग-3	संभाग-बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं अंबिकापुर	उपायुक्त, बिलासपुर

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। तथा तकनीकी नियंत्रण संबंधित उपायुक्त का रहेगा।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर
20/11/15

//2//

पृ. क्रमांक 8420/अआ./प्रशा./मुख्या./एफ-316/2015
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 20/11/2015

1. स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
2. सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर, वृत्त-रायपुर /दुर्ग/बिलासपुर
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि.संभाग.....।
10. (आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर
20/11/15